भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672,Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक– डी0 26015/5/2010 -1331 दिनांक – 21-05-2014

निविदा आमंत्रित

विषयः– बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना के लिए वाहन चालक उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800 004 में सरकारी वाहन एम्बेस्डर क्लासिक मॉडल नम्बर 1800 आई.एस.जेड. तथा जिप्सी को चलाने के लिए चालक मासिक दर पर उपलब्ध कराने पर आने वाले खर्च प्रति चालक अंकित करते हुए दिनांक 02.06.2014 तक मुहरबंद लिफाफे में एक वर्ष के लिए (अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है) निविदा दर प्रस्तुत किया जाये ताकि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली से कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(अ) प्रतिदिन कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्योराः–

1) प्रातः 9.30 अपराह्न से 6.00 पूर्वाह्न तथा पदाधिकारियों द्वारा बताये गये स्थान पर आना एवं जाना एवं समय में आवश्कतानुसार परिवर्तन संभव है । आवश्कतानुसार अवकाश के दिनों में भी चालक उपलब्ध कराना होगा।

2) सरकारी वाहनों को प्रतिदिन साफ–सफाई किया जाना।

3) उपलब्ध कराये गये चालक के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा वाहन चलाने तथा सफाई कार्य नहीं किया जाना है।

4) चालक को यूनिफॉर्म सहित उपलब्ध कराना।

5) प्रतिदिन वाहन को कार्यालय परिसर में लगाया जायेगा।

6) सरकारी दौरे पर अधिकारियों को पटना से बाहर जाने पर आवश्यकतानुसार वाहन को पटना से बाहर ले जाना होगा।

7) वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स (स्थायी) होना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार नवीकृत हों।

8) वाहन चालक का पूरा विवरण पता एवं लाईसेंस की छायाप्रति आदेश के उपरांत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ब) सामान्य शर्तेः–

1) इस प्रभाग के प्राधिकृत अधिकारी से प्रत्येक माह "कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र" दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जायेगा।

2) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के पास सुरक्षित है।

3) निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के पास निदेशालय स्थित अथवा टेंडर बॉक्स में दिनांक 02.6.2014 के अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने समय उपस्थित रह सकते हैं।

4) नियमानुसार निवदादाता द्वारा कर्मियों को EPF एवं ESIC में अंशदान करना होगा।

5) भुगतेय राशि से नियमानुसार आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती की जा सकती है।

6) मुहरबंद निविदा वाले लिफाफे के उपर साफ–साफ बड़े एवं पठनीय अक्षरों में जनगणना निदेशालय, बिहार में **"वाहन चालक कार्य हेतु निविदा"** अंकित किया जाना चाहिए।

7) पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न किया जाना है।

8) संबंधित विभाग द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।

9) निविदादाता का फर्म काली सूची में दर्ज नहीं का प्रमाण अपने लेटर पैड पर देना होगा।

21/5/14

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का0 अ0)

प्रतिलिपिः–

1 ओ0आर0जी0आई0 वेब साईट
2) मुख्यालय सूचना पटट।
3) निविदा समिति के सदस्य।